न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19/2015 (2015/00078) वाद पत्र

उनवान

1–गुलाब वल्द गंभीर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय भीलवाड़ा मार्फत भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा
4–ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. सुनिल बापना – वादी अधिवक्ता

निर्णय दिनांक–31.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी के आधिपत्य एवं स्वामित्व की कृषि आराजियात बैरून हल्के आबादी मौजा रायपुर तहसील रायपुर में स्थित है जिसके साबिक आराजी संख्या 286/2 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 351 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 1082/1 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 362 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी संख्या 376 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 5 कुल रकबा 18 बीघा 12 बिस्वा स्थित थी और नक्शा ट्रेस में भी उक्त आराजियात दर्शित थी। साबिक जमाबन्दी व साबिक नक्शा ट्रेस वादपत्र के साथ प्रस्तुत की है। ग्राम रायपुर का नवीन सेटलमेन्ट हुआ जिसमें नवीन आराजी संख्या 2463 रकबा 0.48 है0, आराजी संख्या 2465 रकबा 1.82 है0, आराजी संख्या 2466 रकबा 0.68 है0, आराजी संख्या 2546 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 2547 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2556 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2564 रकबा 0.28 है0, आराजी संख्या 2576 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2577 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 2462 रकबा 0.30 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 4.02 है0 बनाये गये जिसकी पानड़ी भू प्रबन्ध विभाग से जारी हुई जो साथ संलग्न है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नई पैमाईश मे आराजी नम्बर 2462 रकबा 0.30 की कच्ची पानडी तो वादी के नाम पर जारी की गई, किन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलती से आराजी नम्बर 2462 का रकबा 0.70 हेक्टेयर बनाते हुए किस्म पाल अंकित कर दिया गया, जबकि आराजी नम्बर 2462 वादी के खाते के साबिक आराजी नम्बर 286/1 से बने थे। भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के बाद [illegible] जिसमें आराजी नम्बर 2462 को वादी के खाते में दर्ज न कर मनमाने तौर [illegible] दर्ज कर दी गई। इसी प्रकार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो नक्शा [illegible] बनाया गया [illegible] भी साबिक ट्रेश से मिलान नही खाता है तथा वर्तमान नक्शे को [illegible] है और [illegible] रायपुर हाल आराजी नम्बर 2466 में भी जबरन सड़क [illegible] निर्माण करने पर [illegible] हो रही है, जबकि किसी भी काश्तकार की सम्पत्ति को बिना मुआवजा दिये अथवा जमीन के बजाय जमीन देने के उपरांत ही वह किसी खातेदार की आराजी मे निर्माण करा सकता है अन्यथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

नही। ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा वादी की आराजी नम्बर 2466 को नियमानुसार अवाप्त नहीं किया गया है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम पंचायत रायपुर वादी की हाल आराजी नम्बर 2466 मे तथा नवीन नम्बरान की आराजी नम्बर 2463, 2466 में भी जबरन निर्माण कराने पर आमादा हो रहे हैं। उक्त प्रकार से हाल आराजी नम्बर 2462 में 0.30 हेक्टेयर जमीन वादी की चली गई। हाल आराजी नम्बर 2462 के रकबे 0.70 हेक्टेयर मे से 0.30 हेक्टेयर जमीन पुनः वादी के खाते में दर्ज होने पर ही वादी का रकबा पुरा हो सकता है। इसके अलावा साबिक आराजी नम्बर 286/1 रकबा 12 बिस्वा का जमाबंदी में रकबा व नम्बर तो सही कायम किया, परन्तु नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के मुकाबले खड़ा कर दिया। जबकि भू—प्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का बिना किसी न्यायालय की डिक्री के अधिकार नहीं था और राजस्व नक्शे को छोटा करने का भी अधिकार नहीं था। इस प्रकार भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की नवीन आराजी का नक्शे मे 0.65 हेक्टेयर रकबा कम कर दिया जबकि वादी मौके पर 3.28 है0 पर वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा हाल आराजी नम्बर 2465 रकबा 2.02 हेक्टेयर में से 0.22 हेक्टेयर भूमि विक्रय कर दी, परन्तु उसका भी राजस्व नक्शे मे अमल दरामद नहीं हुआ है। जबकि हाल आराजी नम्बर 2465 का रकबा 1.82 हेक्टेयर है। भू—प्रबन्ध विभाग ने नवीन नक्शा तरमीम करते समय आराजी संख्या 2465, 2463 व 2466 को साबिक नक्शे के मुकाबले छोटा करते हुए पूर्वी भाग पर आराजी की आकृति को परिवर्तित कर दी तथा बिलानाम आबादी संख्या 2640, 2644, 2645, 2646, 2650, 2651 को मौके की स्थिति के विपरीत नवीन नक्शे में वादी की सीमा में आगे बढ़ाते हुए दर्ज कर दिया। इसी प्रकार आराजी नम्बर 2641, 2647 को भी मौके की स्थिति के विपरीत वादी के कब्जे काश्त की भूमि में गलत रूप से दर्ज कर दिया गया। प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम पंचायत रायपुर द्वारा वादी की कृषि भूमि में बिना किसी अधिकार व बिना किसी अनुमति वादी की कृषि भूमि में सड़क निकालने से वादी की भूमि सड़क के दक्षिण में शेष बच गई जिस पर भी वादी वर्षों से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा सही तरमीम नही करने से ग्राम पंचायत रायपुर की आराजी संख्या 2640, 2644, 2645, 2646, 2650 वादी के कब्जेकाश्त की सीमा में दर्ज हो जाने से प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम पंचायत रायपुर वादी को गलत एवं विधि विरुद्ध नोटिस जारी कर परेशान कर रहे हैं। यही नहीं प्रतिवादी संख्या 4 ग्राम पंचायत ने वादी को दिनांक 02/01/2013 को उसके कब्जे काश्त की भूमि से कब्जा हटाने का नोटिस थमा दिया, जिसका वादी द्वारा जवाब दिया कि वादी अपनी भूमि पर ही काबिज है तथा सेटलमेन्ट के दौरान ग्राम पंचायत की आबादी भूमि को गलत इन्द्राज किया गया तथा सड़क को भी सही तरमीम नही किया गया। उक्त सारी स्थिति प्रतिवादीगण की जानकारी मे होते हुए भी प्रतिवादीगण जबरन वादी को उसके कब्जे व स्वामित्व की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं तथा वादी की कब्जेकाश्त की भूमि मे जबरन आधिपत्य जमाने हेतु तत्पर हो रहे हैं जिसका की प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण जबरन वादी की कब्जेकाश्त की आराजियात मे जबरन प्रवेश होकर सड़क निर्माण कर रहे है जिससे वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है। वाद प्रस्तुती के पूर्व वादी की ओर से पंजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जा0दी0 व धारा 109 पंचायत राज अधिनियम का दिनांक 06.12.2014 को जारी कराया गया जो प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया फिर भी प्रतिवादीगण द्वारा वादी को वाछिंत दादरसी प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

नही की जिस पर मजबुरन वाद प्रस्तुत किया गया। अतः वादी सादर प्रार्थना है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा साबिक नक्शे के मुकाबले हाल नक्शे को छोटा कर दिया जिससे वादी पुनः साबिक नक्शे के अनुरूप तरमीम करवाने का अधिकारी है, साथ ही बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादी की हाल आराजियात जिसका उल्लेख वादपत्र में की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजियात किता 10 रकबा 4.02 है0 में किसी प्रकार का दखल नही करे, किसी प्रकार की सड़क नही निकाले और वादी को शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 19.05.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कॉलम 2 गलत होने से अस्वीकार है वादी का 70–80 वर्षो से कब्जा होना तथ्य स्वयं साबित करें वादी नवीन नक्शे अनुसार काबिज है जिसके चारो तरफ थोहर की बाड़ है इसको भी वादी स्वयं साबित करे। वादी की आराजियात में सड़क निकली हो यह प्रतिवादी को जानकारी नही है। सड़क वादी की भूमि में नही निकली है और दक्षिण में वादी की कोई आराजी शेष नही है। साबिक आराजी संख्या 286/1 रकबा 12 बिस्वा किस्म श्मसान होने का तथ्य स्वीकार है जो साबिक नक्शे में भी होना दर्ज है। आराजी संख्या 286/2 रकबा 15 बीघा 4 बिस्वा भूमि के नवीन नम्बर एवं रकबा सही कायम किया गया मौके की स्थिति को ध्यान में रखते हुए तरमीम किया गया है। साबिक नक्शे के मुकाबले नवीन नक्शे को छोटा नही किया गया है। भू प्रबन्ध विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान मौका स्थिति के अनुसार राजस्व नक्शे और रेकार्ड को तैयार करने का पूर्ण अधिकार है जिसमें किसी प्रकार की कोई तफावत नही है। वादी का कब्जा 3.28 है0 पर नही है। वादी के द्वारा कुछ भूमि विक्रय की गई है उसका विवरण वादी द्वारा अकिंत नही किया गया है। क्रेता को वादी द्वारा जो भूमि विक्रय की गई है उस क्रेता को पक्षकार नही बनाया गया है। आराजी संख्य 2640, 2644, 2645, 2646, 2650, 2651 बिलानाम आबादी दर्ज नही होकर ग्राम पंचायत रायपुर के नाम दर्ज है। आराजी संख्या 2641, 2647 को मौके की स्थिति के अनुसार फीट किया गया। आराजी संख्या 2640, 2644, 2645, 2646, पर प्रतिवादी काबिज है और नियमानुसार प्रकिया अपनाते हुए भूखण्ड का पट्टा जारी करने का पूर्ण अधिकार है। वादी उक्त आराजी पर किसी प्रकार की निषधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी की भूमि का 0.65 है0 रकबा कम नही हुआ है। वाद के शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में आराजी संख्या 2640, 2644, 2645, 2646, 2650, [illegible] आबादी दर्ज है जिससे सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जिससे वाद [illegible] है। अतः वाद को सव्यय खारीज फरमाया जावे।

तहसीलदार रायपुर [illegible] के अनुसार ग्राम रायपुर की आराजी संख्या 2463 रकबा 0.48 [illegible] 2465 रकबा 0.92 है0, आराजी संख्या 2466 रकबा 0.78 है0, आराजी संख्या 2546 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2547 रकबा 0.09 है0, आराजी संख्या 2556 रकबा 0.14 है0, आराजी संख्या 2564 रकबा 0.28 है0, आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 2576 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 2577 रकबा 0.03 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 2.92 है0 भूमि वादी गुलाब पिता गंभीर माली के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर वादी का मौके पर कब्जा है। आराजी संख्या 2466 में मौके पर ग्राम पंचायत रायपुर से सगरेव जाने वाली पक्की सड़क निकल रही है। मूल आराजी संख्या 2465 मे से विक्रय एवं रूपान्तरण एवं समर्पण से नवीन आराजी संख्या 4309/2465 रकबा 0.22 है0 (लादुलाल पिता धर्मचन्द पितलिया महाजन) आराजी संख्या 4316/2465 रकबा 0.22 है0 (गोवर्धन पिता गोपीलाल गुर्जर, हेमराज पिता गुलाब माली) आराजी संख्या 4762/2465 रकबा 0.1532 है0 (बंशीलाल पिता गुलाब माली) आराजी संख्या 4790/4715 रकबा 0.1624 है0 (भूरा पिता गुलाब माली) आराजी संख्या 4794/4714 रकबा 0.2050 है0 (बालु पिता गुलाब माली) आराजी संख्या 4761/4713 रकबा 0.0668 है0, आराजी संख्या 4789/4715 रकबा 0.0576 है0 व आराजी संख्या 4793/4714 रकबा 0.0150 है0 (बिलानाम गैर काबिल काश्त) बने है। शेष आराजी संख्या 2465 रकबा 0.92 है0 वादी के नाम दर्ज है। मूल आराजी संख्या 2465 का कुल रकबा 2.02 है0 बनता है। मौके पर दर्ज किस्म अनुसार उपयोग किया जा रहा है। आराजी संख्या 2463, 2465, 2466 एक ही चक में होकर पूर्व में आराजी संख्या 2467 गै.मु. रास्ता एवं पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित आराजी संख्या 2462 गै.मु. पाल के बीच स्थित है। आराजी संख्या 2466 में ग्राम रायपुर से ग्राम सगरेव जाने वाली सड़क एवं आराजी संख्या 2465 में सुरास चौराया जाने वाली पक्की सड़क निकल रही है। आराजी संख्या 2463, 2465, 2466 का रकबा बरारी निम्नानुसार है–

क्र.स.	आराजी संख्या	जमाबन्दी अनुसार रकबा	नक्शा अनुसार रकबा बरारी करने पर रकबा	वि.वि
1	2465	0.9200	1.9000	मूल आराजी 2465 नक्शा अनुसार
	4309/2465	0.2200		
	4316/2465	0.2200		
	4761/4713	0.0668		
	4762/2465	0.1532		
	4789/4715	0.0576		
	4790/4715	0.1624		
	4793/4714	0.0150		
	4794/4714	0.2050		
	कुल किता 9	कुल रकबा 2.0200	1.9000	
2	2463	0.4800	0.4300	
3	2466	0.7800	0.4800	
	कुल किता 2	कुल किता – 3.2800	2.8100	

उक्त तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन अधिवक्ताओ को कराया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ताओ द्वारा एक साथ निवेदन किया गया कि न्यायालय द्वारा स्वयं मौका स्थिति का निरीक्षण कर वादी के कब्जे अनुसार और रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में दुरस्ती की जावे जिस पर न्यायालय द्वा[illegible]क्षी की उपस्थिति में पटवारी हल्का, भू अभिलेख निरीक्षक मय मौतबि[illegible] के मौका [illegible] सत्यापन किया गया सत्यापन के दौरान मौके पर जो रायपुर से सग[illegible] निकल [illegible] है वो वादी की खातेदारी में स्थित है उसके बाद मौके पर स्थित मुस्तकिल निशान आराजी संख्या 2575 जो राजस्व रेकार्ड में चाह दर्ज है उसके मध्य से सड़क की तरफ फीता डाल[illegible] हुए उसी सीध से सगरेव रोड़ पर 90 मीटर की सीमा तक प्रार्थी का रकबा आता है जिसका मौके पर उपस्थित वादी एवं प्रतिवादी के रूप में ग्राम विकास अधिकारी श्री सचिन कुमार चौबे को कराया गया जिस पर दोनो पक्षो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

के द्वारा मौका स्थिति से संतुष्ट होकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती करने पर सहमति व्यक्त की गई।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं स्वयं द्वारा मौका अवलोकन करने से पाया कि वादी के नाम दर्ज आराजियात के रकबे का नक्शा मौके अनुसार नही होने से वादी का रकबा कम पड़ रहा है जबकि राजस्व रेकार्ड में साबिक के मुकाबले नवीन रकबा सही दर्ज किया गया है। वादी के नाम दर्ज आराजियात में कुछ रकबा श्मशान एवं पाल के रकबे में सम्मिलित होना पाया गया जो सार्वजनिक प्रयोजनार्थ काम में आ रहा है। मौके पर वादी के कब्जे का सत्यापन किया गया तो वादी का कब्जा साबिक रेकार्ड अनुसार मौके पर पाया गया। नवीन नक्शे में स्थित मुस्तकिल आराजी संख्या 2575 जो गै.मु.चाह है के मध्य बिन्दु से सड़क तक चलकर सड़क पर बिन्दु कायम किया गया तथा उस बिन्दु से सगरेव की तरफ 80 मीटर तक वादी की भूमि रेकार्ड अनुसार आती है जहां आराजी संख्या 2640 के नक्शे को बढ़ा दिया गया है। इसी तरह आराजी संख्या 2466 मौके पर आराजी संख्या 2551 गै.मु. चाह से लगता हुआ पुराना रास्ता जो ग्राम जगपुरा जाने का है वहां तक आराजी संख्या 2466 का रकबा मौका स्थिति अनुसार खातेदार का है जबकि आराजी संख्या 2466 के नक्शे को भी वहां तक नही बढ़ाकर आराजी संख्या 2647 के नक्शे की सीमा को बढ़ा दिया गया है जबकि राजस्व रेकार्ड में रकबा सभी आराजियात का साबिक के अनुरूप ही दर्शाया गया है। नवीन भू प्रबन्ध के नक्शे में यह तफावत इसलिये भी हुई की यहा 2 सीटो का मिलान हो रहा है जिससे भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नक्शे की सीमा में बन्द करने में त्रुटी हुई है। जबकि मौके पर खातेदार अपने हक हिस्से की सीमा तक काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहा है। ऐसी स्थिति में मौका स्थिति अनुसार नक्शे को दुरस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2640 के नक्शे को आराजी संख्या 2577 की तरफ 0.04 है0 रकबे की सीमा तक नक्शा बढा दिया गया है जो वादी की आराजी संख्या 2466 का भाग मानते हुए मूल आराजी संख्या 2466 रकबा 0.78 है0 मे से 0.04 है0 रकबा कमी कर उक्त 0.04 है0 का नवीन बटा नम्बर कायम करते हुए रेकार्ड में दर्ज किया जावे व आराजी संख्या 2640 की सीमा निर्धारित की जावे। इसी तरह आराजी संख्या 2466 मौके पर आराजी संख्या 2551 गै.मु. चाह से लगता हुआ पुराना रास्ता जो ग्राम जगपुरा जाने का है वहां तक आराजी संख्या 2466 का रकबा पुरा होता है जिसको वहां तक नक्शे में बढाया जाकर मौका स्थिति अनुसार तरमीम करते हुए राजस्व नक्शे को दुरस्त किया जावे। आराजी संख्या 2647 का रकबा यथावत राजस्व रेकार्ड में बदस्तुर रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के उक्त खातेदारी रकबे में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे वादी को शान्ति पूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग [illegible]। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

31.03.2022
सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–19/2015 (2015/00078) वाद पत्र

उनवान

1–गुलाब वल्द गंभीर माली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी महोदय भीलवाड़ा मार्फत भू–प्रबन्ध अधिकारी भीलवाड़ा
4–ग्राम पंचायत रायपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर के बैरून हल्का आबादी में स्थित आराजी संख्या 2640 के नक्शे को आराजी संख्या 2577 की तरफ 0.04 है0 रकबे की सीमा तक नक्शा बढ़ा दिया गया है जो वादी की आराजी संख्या 2466 का भाग मानते हुए मूल आराजी संख्या 2466 रकबा 0.78 है0 मे से 0.04 है0 रकबा कमी कर उक्त 0.04 है0 का नवीन बटा नम्बर कायम करते हुए रेकार्ड में दर्ज किया जावे व आराजी संख्या 2640 की सीमा निर्धारित की जावे। इसी तरह आराजी संख्या 2466 मौके पर आराजी संख्या 2551 गै.मु. चाह से लगता हुआ पुराना रास्ता जो ग्राम जगपुरा जाने का है वहां तक आराजी संख्या 2466 का रकबा पुरा होता है जिसको वहां तक नक्शे में बढाया जाकर मौका स्थिति अनुसार तरमीम करते हुए राजस्व नक्शे को दुरस्त किया जावे। आराजी संख्या 2647 का रकबा यथावत राजस्व रेकार्ड में बदस्तुर रहेगा। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी के उक्त खातेदारी रकबे में किसी प्रकार की दखलदांजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे वादी को शान्ति पूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करने देवे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 31.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

31-03-2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 17:23:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा